

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2655

दिनांक 13/12/2022

प्रार्थीगण :-

1. हीराराम पुत्र अचलाराम 2. सूआ पत्नि
अचलाराम 3. प्रतापाराम 4. घेवर पि.
अमराराम, जाति दर्जी
निवासी खारिया डेर (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. रूखमणाराम पुत्र सिरामाराम 2. कानाराम पुत्र जुगताराम
3. मगाराम पुत्र सिरामाराम 4. केसराराम पुत्र प्रहलादराम
जाति जाट, निवासी खारिया डेर 5. जगमालराम पुत्र
लिछमणाराम 6. खेताराम पुत्र टीकमाराम 7. बाबूराम पुत्र
मगाराम, जाति दर्जी, निवासी खारिया डेर (बीजराड़)
8. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 120/2022

दिनांक : 13.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 423 रकबा 3.0190 हैक्टेयर, खसरा सं. 578/421 रकबा 01.5945 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार धारणकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2656 7059

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हीराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण रूखमणाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 13/12/2022

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन